निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1023) पटना, बुधवार, 30 नवम्बर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
29 नवम्बर 2016

एस0ओ0 297, दिनांक 30 नवम्बर 2016—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा–(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उप धारा–1 के खण्ड–(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3824, 3825 दिनांक 06.09.2016 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ–3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ–2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (1) के खण्ड–(III) के अन्र्तगत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर,2016 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. कृषि नियोजन

अनुसूची–I

क्र0 सं0	**कामगारों की श्रेणी**	**वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें**	**दिनांक 01.04.2016 तक देय परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता**	**कुल (3+4)**	**15% पुनरीक्षण का लाभ**	**निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.12.16 से लागू**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ।	138.00	59.00	197.00	29.55=30.00	227.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर ।	4967.00	2136.00	7103.00	1065.45=1065.00	8168.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी / चौकीदार / सिपाही / हलवाहा	3864.00	1662.00	5526.00	828.90=829.00	6355.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा				

टिप्पणी :–

(क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) 6090.00 जो वर्ष, 2015 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई–दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 23.11.2016 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 43% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरूष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(ज) यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सूची में कृषि नियोजन में कामगारों को पाँच कोटि में बाँट कर एक ही अधिसूचना निर्गत किया जाय।

स्पष्टीकरण :–

(क) अकुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है।

(ख) अर्द्धकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अर्न्तगत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है।

(ग) कुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें काई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यावसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है।

(घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।

(सं0—5/एम0डब्लू0—402/09 श्र0सं0—4973)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार नं0—01,
अवर सचिव।

---

29 नवम्बर 2016

एस0 ओ0 298, एस0 ओ0 297, दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0—5/एम0डब्लू0—402/09 श्र0सं0—4974)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार नं0—01,
अवर सचिव।

The 29th November 2016

S.O. 297, dated 30th November 2016—In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section- 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section- 2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.-3824, 3825 dated 06.09.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns- 3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column- 2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said empolyment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 1st December, 2016.

SCHEDULE

Sl. No. **Name of Scheduled Employments**

1. Agriculture Employment

SCHEDULE-I

Sl No.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable on 01.04.2016	Total (3+4)	15% Revision Benefit	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1	All other agricultural operations except harvesting	138.00	59.00	197.00	29.55=30.00	227.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	4967.00	2136.00	7103.00	1065.45=1065.00	8168.00 Permonth
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi/Halwaha	3864.00	1662.00	5526.00	828.90=829.00	6355.00 Permonth
4	Harvesting	One bundle in 10 bundle of harvested crops.				

Note :-

(a) The minimu rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 6090.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2015 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.11.2016 by adding 15% additional after the 43% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

(g) It has been also decided that the only one notification should be used by dividing employees of Agriculture employment under five categories.

EXPLANATION :-

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-402/09 L & R-4973)
By order of the Governor of Bihar,
ARUN KUMAR NO.01,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1023-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in